

खादी और ग्रामोद्योग आयोग  
विपणन/सरकारी आपूर्ति निदेशालय

सं. केवीआईसी /विपणन/वस्तु और सेवा कर/2017-18

दिनांक: 10 जुलाई 2017

सेवा में

सभी प्रबन्धक,

विभागीय बिक्री भंडार

विषय : प्री पैकेज्ड वस्तुओं के बिक्री न किए गए स्टॉक पर वस्तु और सेवा कर प्रभाव के संबंध में।

महोदय,

कृपया इसके साथ अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई हेतु प्री पैकेज्ड वस्तुओं के बिक्री न किए गए स्टॉक पर वस्तु और सेवा कर के प्रभाव के संबंध में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, लीगल मेट्रोलोजी डिवीजन, भारत सरकार की अधिसूचना संलग्न कर भेजी जा रही है।

धन्यवाद।

भवदीय,  
(राम नारायण)  
सहायक निदेशक /प्रभारी (विपणन)

प्रतिलिपि,

1. सभी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3. वित्तीय सलाहकार/मुख्य कार्यकारी अधिकारी / प्रभारी के विशेष कार्य अधिकारी